कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं0: 2295 / 12-1 (2) दिनांक 25 / 02 / 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
नरेन्द्र नगर।

पत्रसख्या 221
फाइल नं. 15 वी०
दिनांक 1/3/2019

विषय :– **जनपद–टिहरी गढवाल के अन्तर्गत कौड़ियाला से गंगलसी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.33 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्र संख्या–1422 / FP/UK/ROAD/17417/2016 दिनांक 29–11–2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है, में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून उत्तराखण्ड द्वारा कतिपय अधिरोपित शर्तो के अधीन जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र संख्या–08बी0 / यू0सी0पी0 / 06/18/2018 / एफ0सी0 / 1720 दिनांक 19–11–2018 में दी गयी शर्तो के अनुपालन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1937 / 12–1(2) दिनांक 23.01.2019 द्वारा प्रेषित डिमांड नोट में एन0पी0वी0 की धनराशि के आंकलन को पुनः संशोधित करते हुए निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

1–शर्त संख्या–01 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले2.66 हे0 ग्राम तिमली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके दस वर्षों के रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि(वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) वसूली वर्ष 2018–19 हेतु 2.66 हे0 @ 2,78,665.00 प्रति हे0 की दर से कुल मु0 07,41,250.00 की धनराशि जमा करनी होगी। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–क–972 / 3–5–2 दिनांक 21–11–2017 के अनुसार निर्धारित किया गया है।

2–शर्त संख्या–02 के अनुपालन में एन0पी0बी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.33 हे0 हेतु @ 8,45,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 11,23,850.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :–

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

Sri K.N. Joshi

"प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या–5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 मे उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0पी0 की देयता निम्नानुसार है" :–

31. ईको–क्लास श्रेणी–	V
32. हरियाली का घनत्व–	0.40 MDF
33. एन0पी0वी की दर प्रति हे0–	मु0 8,45,000.00 (आठ लाख पैंतालीस हजार रूपये मात्र)
34. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल–	1.33 हे0
35. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–	1.33 हे0 X 8,45,000.00 = 11,23,850.00

01/3/19

3–शर्त संख्या– 03. के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्वता का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0बी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

4–शर्त संख्या–04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्व वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

5–शर्त संख्या–05 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सड़क निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोनो किनारों तथा Central Verge पर अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जायेगी इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्याः– / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।